





इन्द्राज वगैरा बनाम लैण्ड होल्डर
दावा

नम्बर व अहकाम हुकम की में जारी	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
को य पत्रावली	<p>29-12-06 पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत में पेश हुई। वादीगण मुकेश, औमप्रकाश, सुनील, रुक्मिणी उपर हैं। पक्षकारों ने राजीनामा पेश कर दावा वापिस लेने का निवेदन किया है। अतः राजीनामा अनुसार वादीगण को दावा वापिस लेने की अनुमति दी जाती है। पंच डिफ्री जारी किया जावे। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल दस्त हो।</p> <p>  (रवि कुमार शर्मा) सडवोकैट सदस्य लोक अदालत गंगपुर सिटी </p> <p>  (मुनिदेवयाक) अध्यक्ष लोक अदालत गंगपुर सिटी एवं उप जिला कलेक्टर गंगपुर सिटी </p>	<p> राजु वैरवा मुकेश वैरवा औमप्रकाश </p> <p>  मुकेश वैरवा </p> <p>  मुनिदेवयाक </p>

मूल वाद मे डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखंड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर गंगापुर सिटी
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) खूंटलासलोना

पीठासीन अधिकारी:- मुनिदेव यादव, आर.ए.एस.

उनवान

1. इन्द्राज पुत्र सुख्या, बैरवा निवासी खूंटलासलोना तहसील गंगापुर सिटी
2. अन्वयकाश पुत्र सुख्या, बैरवा निवासी खूंटलासलोना तहसील गंगापुर सिटी
3. सुख्या पुत्र सुख्या, बैरवा निवासी खूंटलासलोना तहसील गंगापुर सिटी
4. लाला पुत्र सुख्या, बैरवा निवासी खूंटलासलोना तहसील गंगापुर सिटी
5. सुख्या पति सुख्या, बैरवा निवासी खूंटलासलोना तहसील गंगापुर सिटी
6. लाला पुत्र बत्तीलाल, बैरवा निवासी खूंटलासलोना तहसील गंगापुर सिटी
7. लाला पुत्र बत्तीलाल, बैरवा निवासी खूंटलासलोना तहसील गंगापुर सिटी
8. लाला पुत्र बत्तीलाल, बैरवा निवासी खूंटलासलोना तहसील गंगापुर सिटी

---वादीगण

बनाम

लाला इन्द्राज तहसीलदार गंगापुर सिटी

---प्रतिवादी

दावा बाबत घोषणा खातेदारी, इन्द्राज दुरुस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

सूचना नं. - 116/2015

वादीगण की ओर से वादी इन्द्राज व अन्य की व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी कोई नही की अतिवृत्ति में इस वाद मे आज तारीख 29.6.2016 को मुनिदेव यादव (पीठासीन अधिकारी) के समक्ष अंतिम शिष्टाचार के लिए पेश होने पर, आदेश दिया जाता है कि और डिक्री दी जाती है कि

लोक अदालत में वादीगण द्वारा प्रस्तुत राजीनामे के अनुसार वादीगण को अपना वाद वापिस लेने की अनुमति प्रदान की जाती है। राजीनामा निर्णय का हिस्सा रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना खर्चा खान करने।

यह आज तारीख 29.6.2016 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई



मुनिदेव यादव
उपखंड अधिकारी
गंगापुर सिटी
कलेक्टर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प	
2. अर्जी के लिए स्टाम्प		अर्जी के लिए स्टाम्प	
3. प्लीडर के लिए स्टाम्प		प्लीडर की फीस	
4. साक्षियों पर प्लीडर की फीस		साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय	
5. साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय		आदेशिका की तामील	
6. आदेशिका की फीस		कमिश्नर की फीस	
7. आदेशिका की तामील			
जोड		जोड	